भीम BHIM

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(4)नविवि/2017 जयपुर, दिनांकः 15 SEP 2020

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंषा पर सहायक नगर नियोजक भर्ती परीक्षा–2018 की आरक्षित सूची में आने वाले निम्नलिखित अभ्यर्थियों को राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के नियम–22 के प्रावधानान्तर्गत सहायक नगर नियोजक के पद पर प्रथमतः 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है–

क्र. सं.	वरीयता क्रमांक	नाम व पता	जन्मतिथी	प्रवर्ग
1.	आर–01	सौरभ गहलोत पुत्र श्री सुनील गहलोत, पता– 126, सेकण्ड पोलो, पावटा फोर्ट रोड, जोधपुर, राजस्थान	21.10.1985	सामान्य
2.	आर–02	अनुभव मिश्रा पुत्र श्री प्रमोद कुमार मिश्रा पता– 986, दामोदर नगर, बर्रा, कानपुर नगर, उत्तरप्रदेश–208027	15.09.1991	सामान्य
3.	आर–03	सुश्री साक्षी बोहरा पुत्री श्री रमेश चन्द बोहरा, पता–एच–17, सरस्वती नगर, जी.वी.एम बाल भवन स्कूल के पास, एयरपोर्ट टर्मिनल–02 रोड, जयपुर राजस्थान–302017	04.03.1994	सामान्य(महिला)
4.	आर–04	सुश्री दीप्ती बमणावत पुत्री श्री रमेश चन्द मीणा, पता– एस.बी.आई अफसर फ्लैट, ए–1, ज्योति नगर, विधानसभा, जयपुर राजस्थान	19.05.1996	एसटी(महिला)
5.	आर–05	श्री रविन्द्र पुत्र श्री भगत सिंह, पता– 39ए, पवनपुरी, बैनाड रोड, नियर नाडी का फाटक, झोटवाडा, जयपुर राजस्थान–302040	10.04.1992	अन्य पिछडा वर्ग(विकलांग)

उपरोक्त सभी अभ्यर्थी निम्नांकित शर्तो की अनिवार्य रूप से पालना के साथ अपनी उपस्थिति कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर में प्रस्तुत करेंगे–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनाक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए विभाग को सूचित करेंगे कि वे कब तक कार्यभार सम्भालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. यदि इस समय कोई अभ्यर्थी पूर्व में ही केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा में स्थाई रूप से नियुक्त है तो अपने मूल विभाग की अनापत्ति प्रमाण – पत्र के साथ उपस्थित होंगे।
3. इन अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता, उनके मेरिट क्रम के अनुसार रहेगी।
4. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल समाप्ति पर सतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
5. अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 एवं कार्मिक/ वित्त विभाग द्वारा समय – समय पर यथा संशोधित सरकारी नियमों/परिपत्रों के अधीन रहेगी।
6. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के दौरान इन्हें रूपये 39,300/– मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि को सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण करने के

उपरान्त ही उन्हें सहायक नगर नियोजक पद का नियमित वेतनमान पे – मैट्रिक्स में लेवल संख्या एल–14 एवं अन्य सभी संबंधित परिलाभ देय होंगे।

7. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्रादेश क्रमाक प .8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनाक 09.06.2003 एवं 20.04.2004 के अनुसरण में उपरोक्त नियुक्तियों के संबंध में दिनाक 01.01.2004 से पूर्व के कर्मचारियों पर लागू राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 लागू नहीं होंगे और इनके स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 लागू होगे।
8. परिवीक्षा अवधि (Probation Period) 2 वर्ष की होगी एवं इस अवधि में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
9. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 13(1)/वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं जय आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
11. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण – पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
12. कार्यग्रहण करने की तारीख से ही अभ्यर्थी की सेवा प्रारम्भ होगी। कार्यग्रहण एवं पदस्थापन हेतु की गई किसी भी प्रकार की यात्रा के लिए विभाग/सरकार द्वारा कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
13. सभी अभ्यर्थी मुख्य नगर नियोजक कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थिति प्रस्तुत करते समय अपना–अपना स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र/पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र एवं अन्य समस्त वांछित शपथ–पत्र मुख्य नगर नियोजक को प्रस्तुत करेगें।
14. उक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd-

(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रधान महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 7(23)भर्ती/'क'/गोपनीय/2017–18/56 दिनांक 11.09.2020 के क्रम में।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त उपरोक्त अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों की जांच करने के उपरांत ही कार्यग्रहण कराना सुनिश्चित करावें तथा अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करने के उपरांत पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव – द्वितीय